


उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग-2
संख्या- /XXII-2/18-06(1)2018
देहरादून: दिनांक 10 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/XXII/2015-34(सूचना)2015, दिनांक 10 अगस्त, 2015 के माध्यम से प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2015' के प्रस्तर-22(ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय उक्त नीति के प्रस्तर-8(च) में निम्नानुसार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

प्रस्तर	वर्तमान नियम	प्रस्तावित नियम
1	2	3
प्रस्तर-08(च)	(च) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषा/बोली में बनने वाली फिल्मों की शूटिंग के लिये एक मुश्त 15,000/- रुपये प्रतिमाह तथा अन्य फिल्मों के लिये 10,000/- रुपये प्रति दिन शूटिंग शुल्क लिया जायेगा, जो फिल्म विकास निधि में जमा होगा। सिंगल विण्डो सिस्टम के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा। परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से ही कोई प्रवेश शुल्क या पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका वहन किया जायेगा।	प्रस्तर-08(च) उत्तराखण्ड में बनने वाली फिल्मों के लिये शूटिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा, परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से ही कोई प्रवेश शुल्क या पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका वहन किया जायेगा।

उक्तानुसार उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय। उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 की अन्य शर्तें/प्रावधान यथावत रहेंगे।


(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- 120 (1)/XXII(1)/2018- 06(1)2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 6- आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
- 12- उपनिदेशक, राजकीय मुद्राणालय रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियाँ सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 13- गार्ड फाइल।



(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।